बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक ...13.02.26

संचिका संख्या–07/मु0–01–178/2025–...739...../ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या–1730/2025 सुरेन्द्र रविदास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में द्वारा दिनांक–04.02.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या–1730/2025 में दिनांक–04.02.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"......Considering the above-made submission, the petitioner is directed to file a detailed representation before the Respondent No. 2 along with all supporting documents within a period of 30 days and the Respondent No.2 is well advised to consider the case of the petitioner after affording opportunity of personal hearing or through his counsel and pass a reasoned and speaking order in accordance with law...."

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–1730/2025 सुरेन्द्र रविदास बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–04.02.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–12.01.2026 को निर्धारित की गई है।

4. अंकनीय है कि वादी श्री रविदास की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अवमाननावाद संख्या–297/2007 में पारित आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यालय पत्रांक–1072 दिनांक 15.02.2012 द्वारा की गई। पुनः निदेशक माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय पत्रांक–2053 दिनांक–13.12.2008 के संलग्न अनुलग्नक में किये गये उल्लेख कि 'यह संस्था डा० अम्बेडकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय, विभाग अथवा NCTE से मान्यता प्राप्त नहीं है। के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यालय पत्रांक–3157 दिनांक 06.10.2012 द्वारा श्री रविदास की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–26824/2012 में दिनांक–18.07.2013 को पारित न्यायादेश, सी०डब्ल्यू०जे0सी0 जे०सी० संख्या–998/2015 में दिनांक–09.03.2016 को पारित न्यायादेश तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के डिविजन बेंच द्वारा सिविल रिव्यू संख्या–16/2016 में दिनांक–19.10.2016 को पारित आदेश के कडिका 18 में पुनः स्पष्ट किया गया है कि 34540 कोटि के नियुक्त शिक्षकों से संबंधित पैनल को किसी भी स्थिति में Disturb नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश में अंकित है कि "It is

submitted that the supreme court has put a final seal] so far as the 32127 appointments are concerned- They are not to be questioned- There is no quarrel with that"

उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यालय पत्रांक–831 दिनांक–23.06.2017 द्वारा श्री रविदास को दिनांक–06.10.2012 से पुनर्योगदान की तिथि की अवधि में NO WORK NO PAY के सिद्धांत पर किसी प्रकार के बकाया आदि रहेक दावा नहीं मानते हुए उन्हें उनके पदस्थापित विद्यालय में पुनर्नियुक्ति की गई।

6. पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–910 दिनांक–17.04.2018 द्वारा वादी श्री रविदास की पुनर्नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। पुनः निदेशक प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय पत्रांक–01 दिनांक 01.01.2024 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–91 दिनांक–15.01.2024 द्वारा वादी श्री रविदास की पुनः पुनर्नियुक्ति की गई।

7. वादी श्री रविदास का कथन है कि एल०पी०ए० सं०– 1254/2016 के आलोक में एवं एस०एल०पी० सं०– 26824/2013 में दिनांक 18.07.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में मुझे वर्ष 2012 से जनवरी 2024 तक का वेतनादि का भुगतान किया जाय एवं समकक्ष शिक्षकों की भाँति अनुवर्ती लाभ प्रदान की जाय।

8. अंकनीय है कि डा० अम्बेडकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय, जो एक अमान्य प्रशिक्षण संस्थान है, से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर वादी श्री रविदास की नियुक्ति से बर्खास्त किया गया तथा एल०पी०ए० सं०– 1254/2016 एवं एस०एल०पी० सं०–26824/2013 में दिनांक 18.07.2013 को पारित न्यायादेश एवं विभागीय पत्रांक– 01 दिनांक 01.01.2024 के आलोक में ही इनकी पुनर्नियुक्ति की गई।

9. समरूप मामले में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– 14883/2024 रेखा चन्द्र बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 30.09.2024 को पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा श्रीमती चन्द्र द्वारा अपने बर्खास्तगी अवधि दिनांक–13.03.2012 से 20.02.2024 का बकाया वेतन एवं सेवा निरतंरता की मांग की गयी थी, के आलोक में विधि विभाग से प्राप्त विधिक मंतव्य का अवलोकन किया गया।

10. याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा चन्द्र के द्वारा द्विवर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण डॉ० भीमराव अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ बिहार जोकिया बेगूसराय से सत्र 1993–95 में प्राप्त की है। इस संस्थान को विभागीय पत्रांक–12/ प्रशिक्षण–12/2007–447, दिनांक–12.12.2008 के द्वारा अमान्य संस्था घोषित किया गया है। इस सस्थान से निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र के अधार पर सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा योगदान नहीं कराया गया तो कई वादीगण के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No- 4854/2012, 7253/2012 एवं 7205/2012 दायर किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि इन रिट याचिकाकर्त्ताओं का निपटारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को इस निदेश

के साथ किया जाता है कि वे मामले की जांच करें और उक्त संस्था के प्रमाण पत्रों और डिग्रियों को स्वीकार करने या अन्यथा के संबंध में सभी जिलों के सभी पदाधिकारियों को विशिष्ट निर्देश जारी करें। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा उक्त याचिका के याचिकाकर्त्ता के पक्ष को सुना गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय तथा वादीगण के द्वारा दाखिल कागजातों के आधार पर निम्न तथ्य दृष्टिगत हुए।

(i) डॉ० भीम राव अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, बिहार से निर्गत शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गयी है।

(ii) डॉ० भीम राव अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, बिहार, सोसाएटी ऐक्ट 1860 के तहत निबंधित संस्थान है। जिसका निबंधन संख्या–316/85–86 है। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जो स्वतंत्र कोर्स के अन्तर्गत है, को संबंधित संस्थान के सचिव के स्तर से ही निर्गत किया गया है। उल्लेखनीय है कि National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) जो दिनांक–01.07.1995 से प्रभावी है, के लागू होने के पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से निर्गत होने पर ही मान्य है। ध्यातव्य हो कि डॉ० भीम राव अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, बिहार को राज्य सरकार से मान्यता नहीं है।

(iii) इसी प्रकार National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) के प्रभावी होने की तिथि यथा दिनांक–01.07.1995 के उपरांत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्गत शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ही मान्य है। NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची जो website पर उपलब्ध है, में डॉ० भीम राव अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, बिहार का नाम अक्ति नहीं है।

11. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt Petition(C) No- 297/2007 में दिनांक 13.10.2011 को पारित की गयी आदेश को सुनवाई में संज्ञान में लाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"--- The second issue which has been raised by Mr- Kailash Vasdev is with regard to the examination of the certificates and other documents that may be produced by the candidate concerned at the time of counseling and appointment. In the event, during scrutiny it is found that any of the document do not conforn to the requirement, the concerned authorities will be at liberty to take appropriate steps regarding the said candidate.....(Page-10)

12. उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में विभाग द्वारा पूर्व में अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच विधिवत तरीके से की गयी एवं तद्नुसार कई सकारण आदेश पारित करते हुए आमान्य संस्थाओं /

प्रशिक्षण विद्यालय से निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों की राज्य के विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं करने का आदेश पारित किया गया।

13. उपरोक्त परिस्थिति में यह परिलक्षित होता है कि अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच कर आमान्य संस्थाओं / प्रशिक्षण महाविद्यालय से निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों की राज्य के विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं करने का आदेश विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.10.2011 को पारित आदेश के आलोक में भी किया गया है।

14. शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की वैधता के संदर्भ में LPA No-1491/2014, विजेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश के विरूद्ध विजेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा माननीय न्यायालय में Civil Review No- 16/2016 दायर किया गया, जिसे दिनांक 19.10.2016 के न्यायादेश से निष्पादित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

".... We have heard the parties at length. In our view, a perusal of the order of Apex Court in SLP(C) No. 26824/2012, disposed of on 18th July, 2013, would show that having received the report of Hon'ble Mr. Justice S.K. Chattopadhyaya, the Apex Court noticed that there were genuine grievances on behalf of the applicants on both counts le. wrong inclusion and wrong exclusion from the list of candidates. It is because of that it relegated the parties to the High Court. Thus, in our view, the learned Single Judge was bound first to address this problem instead what the learned Single Judge did, which was not noticed nor discussed in the Intra-Court Appeal, was that top few in the merit list would be called and their credentials examined, and then, they would be considered for appointment. In our view, that was not the correct approach. The reason is simple. A person who may have been more meritorious but was wrongly placed at a lower level, would never get a chance for being considered. A person who had been wrongly excluded but was meritorious and ought to have been considred, would still lose out for all times. Therefore, in our view, review is merited on this aspect. The question is that these are much awaited appointments pending for over a decade. What is to be done, what is the best way to halance, equity and justice. The answer is simple. As we have noted that there were two types of objections, one, about wrongful exclusion, second, about wrongful inclusion. It would be appropriate if both the categories are permitted to raise their grievance within a specified time with supporting information before the State, then the State would consider those and take appropriate decision either including or excluding them. State would also consider whether the applicants have certificates from accredited institutions. Once that is done, then, the merit list (list for selection) would be prepared, and then, the selection

process for the remaining 2213 posts would be taken in seriatim, that would meet all the grievances...."

15. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल रिव्यू 16/2016 (टैग केश सिविल रिव्यू–210/2016, अमरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार) में दिनांक–19.10.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP (c) No-8001/2017 (डायरी नं0–8962/2017) दाखिल किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–25.04.2017 को खारिज कर दिया गया। फलस्वरूप इस सदंर्भ में सिविल रिव्यू–16/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 19.10.2016 को पारित आदेश सम्पुष्ट हो गया है।

16. माननीय न्यायालय के उपरोक्त दोनों आदेश के क्रम में विजेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य (Civil Review No- 16/2016) के द्वारा आतमानताद 3525/2017 विजेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2024 को पारित न्यायादेश की कंडिका–16, 17 एवं 22 दृष्टव्य हैं:–

"... 16. So far as the wrongful exclusion or inclusion is concerned, the judgment had directed such issues to be considered individually, by the State. The said direction is inextricably linked with the claim of filling up of 10,000 vacancies, arising on termination of already appointed persons. We notice that the persons who were terminated from employment had approached this Court with writ petitions numbered as CWJC No. 16580 of 2014 and analogous cases. These writ petitions were allowed, setting aside the terminations which resulted in the State challenging the common judgment passed in appeals, decided by a Division Bench on 28.08.2023 in LPA No. 1254 of 2016 and analogous cases (The State of Bihar and Ors Vs. Sanjay Kumar Chaudhary and Aur)..."

"... 17. The Division Bench, has specifically noticed the order of the Hon'ble Supreme Court dated 18.07.2013, which categorically directed that those persons who were already appointed in the vacancies, shall not be disturbed. We have to notice that even the Division Bench judgment from which the contempt cases arise, noticed the said order, but on the principle that fraud vitiates everything, directed the vacancies to be filled up. The vacancies, however, do not exist as of now. The writ court has set aside the terminations and the uppeul filed by the State, has been dismissed..."

"... 22. Considering the totality of the circumstances, the tenor of the directions issued and the binding orders of the Hon'ble Supreme Court we find absolutely no case of contempt having been made out. Especially, going by the binding orders of the

Hon'ble Supreme Court, we close both these contempt petitions, however, with liberty left to the applicants to agitate their cause, if it still survives individually...."

17. अमान्य संस्थाओं से निर्गत प्रमाण पत्रों आधार पर बर्खास्त शिक्षकों द्वारा पुनर्नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू० जे०सी० सं०–16580/2014 दायर किया गया। शिक्षकों के पुनर्नियुक्ति के आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा एल०पी०ए० संख्या–1254/2016 एवं अन्य संबंधित वाद दायर किया गया, जिसमें दिनांक–28.08.2023 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश पारित की गयी, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"...16. We are of the definite opinion that in the present case where all the party-respondents were appointed as per the directions of the Hon'ble Supreme Court, under the supervision of Justice Chattopadhyay, cannot be terminated on grounds of qualifications not having been properly verified; unless otherwise permitted by the Hon'ble Supreme Court. The party respondents were appointed after their eligibility being settled by Justice Chattopadhyay, appointed by the Hon'ble Supreme Court, to oversee the selection and appointment of teachers to the vacant posts, identified as available, as per the undertaking made by the State before the Hon'ble Supreme Court. Though the verification of credentials and qualifications of the candidates were directed to be done, there could be no such verification at this late stage. As noticed by the learned Single Judge in the impugned judgment the State ought to have been more vigilant when the appointments were carried out..."

18. उपरोक्त विभिन्न बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली–2010 के अंतर्गत नियुक्त 34540 कोटि के शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की वैधता के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt Petition © No-297/2007 में दिनांक–13. 10.2011 को पारित आदेश एवं Civil Review No-16/2016, विजेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–19.10.2016 के न्यायादेश के आलोक में बर्खास्त अवधि का पुनर्नियुक्त शिक्षकों द्वारा बकाया अंतर राशि, सेवा निरंतरता, प्रोन्नति एवं वरीयता की मांग की जा रही है।

19. न्यायिक आदेश के आलोक में बर्खास्त शिक्षकों से उक्त अंतर अवधि में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं लिया गया है ना हीं उनकी उपस्थिति दर्ज करायी गयी है। दृष्टव्य है कि न्यायिक आदेश के आलोक में ही शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था तथा तद्नुसार न्यायिक आदेश के आलोक में ही इन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है।

20. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यालय पत्रांक–2663 दिनांक–27.11. 2025 द्वारा प्रतिवेवित किया गया कि, वादी श्री रविदास पदस्थापित विद्यालय से कार्य करते हुए दिनांक–30.09.2025 को सेवानिवृत्त हुए। तथा उनके योगदान की तिथि 16.01.2024 से वेतन भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि 30.09.2025 तक की जा चुकी है।

21. उक्त परिप्रेक्ष्य में वादी के सेवा से बर्खास्तगी की अवधि की निरंतरता के अतिरिक्त अन्य कोई परिणामी लाभ अनुमान्य नहीं है। इस क्रम यह भी स्पष्ट करना प्रासंगिक होगा कि,

संबंधित रिट याचिका यथा सी०डब्ल्यू० जे०सी० सं०–1730/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिणामी लाभ के बिन्दु पर कोई पृथक आदेश नहीं दिया गया है।

अतएव उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

12/02/26

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–178/2025–739 पटना,दिनांक 13/02/26

प्रतिलिपिः–1. श्री सुरेन्द्र रविदास, पिता–स्व० गणेश रविदास, गाँव–गंधारमथ, पो०–बंधुगन्ज, थाना–घोषी, जिला–जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/02/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–178/2025–739 पटना,दिनांक 13/02/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/02/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।